न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 84/2017

1. श्री रामधन पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर
—प्रार्थी

बनाम

1. श्री पुरूषोतम पुत्र रामधन
2. श्रीमती प्रेम पत्नी पुरूषोतम
3. श्री नवीन उर्फ जीतू पुत्र पुरूषोतम
   समस्त जाति ढोली निवासी भगवानपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
4. श्री रामस्वरूप पुत्र लादू जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री अजय कुमार पारीक, प्रार्थी।
2. श्री गोविन्द कुमार सोनी, अप्रार्थी सं. 1 से 4

निर्णय दिनांकः— 13.11.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजी मौजा ग्राम भगवानपुरा तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
468—455	1151/541	04—00—00	बा. 2

यह कि प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात को बिना किसी बाधा व रूकावट के निरंतर निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है जिसका एक मात्र मालिक व काबिज काश्त प्रार्थी है। उक्त आराजीयात में प्रार्थी ने दिनांक 20.06.2017 को तिल की फसल काश्त की जिस पर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 ने दिनांक 10.07.2017 को प्रार्थी की उक्त काश्त शुदा आराजीयात पर जबरन कब्जा करने के दुराशय से ट्रेक्टर ले जाकर हल चलवाकर तिल की फसल को नष्ट कर दी जिसकी जानकारी प्रार्थी को होते ही अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 को ओलम्बा दिया तो कहा कि हमने तुम्हारी उक्त आराजीयात कब्जा करने के लिये हल चलाया है तथा उक्त आराजीयात पर कब्जा करेगें इसलिये अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 के विरूद्ध उक्त आराजीयात की फसल नष्ट करने की रिपोर्ट पुलिस थाना सरवाड़ में दी गई तत्पश्चात उक्त आराजीयात में दुबारा मूंग व ज्वार की फसल काश्त की गई। प्रार्थी निरंतर निर्बाध रूप से उक्त आराजी को काश्त करता चला आ रहा है तथा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई वास्ता एवं सरोकार नहीं रहा है एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 की नियत बद है तथा प्रार्थी को जबरन उक्त आराजी से बेदखल करने पर उतारू है। यह कि प्रार्थी का प्रार्थना कैसाई केस है तथा वाद की सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष

Scanned by CamScanner

में है यदि प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को अजहद क्षति होगी। यह कि वाद वर्णित आराजीयात न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः—

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम भगवानपुरा संवत् 2070—2073
- छायाप्रति नजरीय नक्शा

अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 3 में वर्णित कथन जिस प्रकार अभिलिखित किये गये है जो अप्रार्थी को ठोस रूप से अस्वीकार है। प्रार्थी का वाद वर्णित आराजीयात में कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का ही सन् 1992 से उक्त वाद वर्णित आराजी पर कब्जा काश्त बिना रूकावट व बाधा के रहा है, जो वर्तमान में भी अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के भौतिक, प्रभावी वास्तविक कब्जें, काश्त, आधिपत्य है। यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित उक्त आराजी को 1992 से भंवरलाल व भंवरलाल की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र अप्रार्थी सं. 1 पुरूषोतम ढोली व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 3 ही स्वंय या खेत के सिरी के पूर्व में कैलाश जाट का खेत, पश्चिम में सुमित्रा देवी का खेत, उत्तर में पड़त जमीन व बाद जगदीश जाट का खेत व दक्षिण में एनीकट की पाल है। यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र झूंठा व मनगढत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः—

- नकल फोटो प्रति प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 मय प्रोसेडिग माननीय न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर अजमेर।
- नकल फोटो प्रति प्रपत्र कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर।
- असल शपथपत्र छगनलाल पुत्र रामदेव बैरवा।
- असल शपथपत्र धनराज पुत्र रामलाल खारोल।
- असल शपथपत्र सोजी पुत्र किशन बैरवा।
- असल शपथपत्र महावीर प्रसाद पुत्र रामेश्वर दमामी।
- असल शपथपत्र कल्याण पुत्र नारायण गोस्वामीं
- असल शपथपत्र जगदीश पुत्र लादू जाट।
- असल शपथपत्र सत्यनारायण पुत्र सूरजकरण।
- असल शपथपत्र सत्यनारायण पुत्र सुगनलाल।
- असल शपथपत्र सूजरकरण पुत्र नाथू बैरवा।

जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से बहस एक पक्षीय सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी मुझ प्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है एवं अप्रार्थी द्वारा मेरे कब्जे काश्त में दखल किया जा रहा है। अतः अप्रार्थी को वाद निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र बहस के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पर गहन विधिक मनन किया गया। पत्रावली पर

Scanned by CamScanner

उपलब्ध जमाबंदी से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वर्तमान में प्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है। अतः पृथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

विवादित आराजी प्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है एवं निश्चित शर्तो की पालना किए जाने पर ही खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकते है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त सिद्ध होता है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को आवंटित विवादित आराजी के आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 14 (4) राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के यहां प्रस्तुत किया हुआ है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक न्याय/18/848 दिनांक 15.01.2018 से भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जे के संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य कब्जे को लेकर विवाद होना स्पष्ट है। परंतु प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा अपने–अपने कब्जे हेतु तथ्य प्रकट किए है। विवादित आराजी पर दोनो पक्षकारान द्वारा अपना अपना कब्जा होना बताया जा रहा है, जो मूल वाद में तय किये जायेगें। विवादित आराजी पर जिस पक्ष का कब्जा काश्त है यदि उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जाए तो संबंधित पक्ष को अपूर्तनीय क्षति संभव है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिंदु प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य समान रूप से वितरित किया जाता है।

विवादग्रस्त आराजी पर वादी के क्या हक अख्तयार है या होने चाहिए इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक साक्ष्योपंरात तथा सम्यक विचारण उपरांत विधि अनुसार मेरिट पर तय किया जाना है।

पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्य की संभावना को कम करने तथा पक्षकारान् के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ प्रार्थी प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष भूमि के मौके की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाए रखें।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला–अजमेर

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.06 15:26:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: